

>

Title: Need to transfer the ESI Scheme of Maharashtra Government to the Employees' State Insurance Corporation.

श्री चंद्रकांत खें (ऑरंगाबाद): मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र में काफी बीमित सदस्य रहते हैं जो ई०एस०आई० अधिकारी में इलाज की सुविधा पाने का पात्र हैं। 2010 में महाराष्ट्र विधान सभा ने अपने एक प्रस्ताव को पास कर राज्य सरकार की ई०एस०आई०एस० योजना को ई.एस.आई.सी. में छातांतरित करने का निर्णय लिया। परंतु तीन साल गुजरने के पश्चात् भी ई.एस.आई.एस. योजना को ई.एस.आई.सी. में छातांतरित नहीं किया गया। जिसके कारण पूँजी महाराष्ट्र में श्रमिकों का इलाज समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहां के अधिकारी की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए अब तक की बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। जिस बीमित सदस्य को ई.एस.आई.सी. सबसे महत्वपूर्ण मानती है उनके खारेज के साथ खिलवाड़ कर्यों किया जा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र विधान सभा ने जो प्रस्ताव 2010 में पास किया था उसके अनुरूप महाराष्ट्र राज्य की ई.एस.आई.एस. योजना का छातांतरण ई.एस.आई.सी. को शीघ्र सौंपा जाये। जिससे महाराष्ट्र राज्य के लोगों की आवाजों का आदर होगा और बीमित सदस्य को अच्छी रवारेश सुविधा प्राप्त हो। इसका निर्णय केन्द्र सरकार आति शीघ्र करे ऐसी मेरी प्रार्थना है।
